संख्या–20/4/2002/का–2/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक : 28 मई, 2012

विषय :– "उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर)समूह–'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली,2002" के नियम–8 में विहित शुल्क के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

"उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह–'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2002"(यथासंशोधित) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। इस नियमावली के नियम–8 में निम्नलिखित व्यवस्था है:–

"अभ्यर्थियों को ऐसी फीस का जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए, भुगतान करने पर नियम 5 के अनुसार चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रकिया से संबंधित अभिलेखों और उसमें दिए गए अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करें तो उसे पॉच रूपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियॉ भी दी जायेंगी।"

2– शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त "उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह–'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2002" के नियम–8 के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत् नियमावली के नियम–5 से संबंधित प्रति अभिलेख का निरीक्षण शुल्क रू0 100/–(एक सौ रूपये मात्र) अवधारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3– उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिए गए निर्णय का अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–20/4/2002/का–2/2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5) सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7) वेब मास्टर/ वेब अधिकारी, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8) समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रिगण, उत्तर प्रदेश को मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
9) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एच.एल.मुस्ता)
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 17 सा0 नियुक्ति–16–6–12–(884)–1000-2 प्रतियां–(आफसेट)।